उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या-22/2016/333/43-1-2016-5(8)/2015
लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2016

कार्यालय- ज्ञाप

श्री व्यास मिश्रा, अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार (लेखा) जो दिनांक 31-7-2016 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-67300 में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत भुगतान के संदर्भ में उनके खाते की पास बुक में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर दिनांक फरवरी, 2016 तक कुल जमा धनराशि रू0 11,34,211/- के नब्बे प्रतिशत अर्थात रू0 10,20,789/- (रू0 दस लाख बीस हजार सात सौ नवासी मात्र) का अन्तिम भुगतान किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त धनराशि श्री व्यास मिश्रा, अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार (लेखा) के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-67300 में दी गई प्रविष्टियों के आधार पर उपलब्ध अवशेष रू0 11,34,211/- का 90 प्रतिशत अर्थात रू0 10,20,789/- है, जो 90 प्रतिशत से अधिक नही है।

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-22/2016/333(1)/43-1-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम) फन्ड-24, उ0प्र0 इलाहाबाद को श्री व्यास मिश्रा, अनुभाग अधिकारी (लेखा) उ0प्र0 सचिवालय के सामान्य भविष्य निधि पास बुक मूलरूप में इस आशय के साथ प्रेषित कि श्री व्यास मिश्रा, अनुभाग अधिकारी (लेखा) के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि संख्या-जी0ए0यू0-67300 में उक्त अंतिम भुगतान रू0 10,20,789/- का समायोजन अपने अभिलेख में कर शेष 10 प्रतिशत की धनराशि का अंतिम भुगतान करने हेतु प्राधिकार पत्र शीघ्र जारी करने का कष्ट करें।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अनुभाग अधिकारी (लेखा) प्रशासनिक सुधार विभाग को दो अतिरिक्त प्रति सहित ।
4- श्री व्यास मिश्रा, अनुभाग अधिकारी (लेखा) उ0प्र0 शासन।
5- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

लुटावन राम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in